

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

दिनांक 27/01/25

क्रमांक/भू.अ./2025/ 158

प्रार्थीगण:-

1. प्रेमराम पुत्र जगमालराम
2. खरथाराम पुत्र केशराराम
3. गोरधनराम पुत्र जगमालराम
4. नेताराम पुत्र केशराराम
5. नवलाराम पुत्र जगमालराम
6. मथरीदेवी पत्नि जगमालराम जाति भील, निवासी कापराऊ तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. अणदाराम पुत्र मजनाराम
2. उदाराम पुत्र रणजीताराम
3. खेताराम पुत्र मजनाराम
4. ताजाराम पुत्र गेमराराम
5. डामराराम पुत्र रणजीताराम
6. राउराम
7. डाउराम पि. भमराराम, जाति भील, निवासी कापराऊ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 194/2024

दिनांक : 27.01.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कापराऊ के मौजा कापराऊ के खेत खसरा सं. 512/213, 367, 209 रकबा क्रमशः 09.9067, 06.8635, 00.8579 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2025/ 159 to 162

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण प्रेमराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण अणदाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 27/01/25

(कुसुमलता चौहान)

उपखण्ड अधिकारी

